

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०सं०-1/अनु० जाति/जनजाति(परी०शु०)-15-66-01/2012- 91

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीर चन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक- 14.09.17

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैरयोजना अन्तर्गत उपबंधित राशि से अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के परीक्षा शुल्क से छूट के फलस्वरूप हुई क्षति की बकाये एवं वर्तमान वर्ष की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध राशि में से अनु० जाति के लिए रु० 80.00 (अस्सी लाख) एवं अनु० जनजाति छात्र/छात्राओं के लिए रु० 5.00 (पाँच लाख) अर्थात् कुल रु० 85.00 (पच्चासी लाख) मात्र की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

2- (क) अनु० जाति के लिए रु० 80.00 (अस्सी लाख) गैरयोजना के आय-व्ययक मुख्य शीर्ष -2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-मांग संख्या-44-उपशीर्ष-0011-छात्रवृत्ति और वृत्तियां-विषय शीर्ष-3401-छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड-एन० 2225012770011 के अन्तर्गत विकलनीय है।

(ख) अनु० जनजाति के लिए रु० 5.00 (पाँच लाख) गैरयोजना के आय-व्ययक मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-मांग संख्या-44-उपशीर्ष-0001-छात्रवृत्ति और वृत्तियां-विषय शीर्ष-3401-छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड-एन० 2225022770001 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना होंगे।

4- इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, पटना होंगे।


5- जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। वे वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर उससे संतुष्ट होकर तथा मांग-की जांच करने के पश्चात् ही राशि विमुक्त करेंगे। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भेजा जायेगा।

6- राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

7- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

8- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव

59

ज्ञापांक-1/अनु० जाति/जनजाति(परी०शु०)-15-66-01/2012- 91 पटना, दिनांक-14.07.12

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकरी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/प्रमंडलीय उप निदेशक, पटना/जिला कल्याण पदाधिकरी, पटना/जिला कोषागार पदाधिकरी, पटना/बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, कम्प्यूटर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदाधिकरी-1, निदेशालय, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव